

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.1(48)नविवि/II/2007पार्ट

जयपुर, दिनांक: 20 OCT 2022

आदेश

प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिगत श्री टीकम चन्द, कनिष्ठ अभियंता (विद्युत), जो वर्तमान में नगर विकास न्यास, अलवर में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है, की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 16.07.2022 से एक वर्ष तक (तृतीय वर्ष) बढ़ाये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. सचिव (प्रशासन), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर।
6. श्री टीकम चन्द, कनिष्ठ अभियंता (विद्युत), नगर विकास न्यास, अलवर।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

AD